

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक - वि० प्रा० (I) विविध-26/2013-

पटना, दिनांक --

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के लिए श्री रमा शंकर सिंह, उप निदेशक (त०) को लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

1. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।
3. पूर्व में निर्गत आदेश सं०-680 दिनांक-05.03.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

६० / -

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक - वि० प्रा० (I) विविध-26/2013-

1806 पटना, दिनांक - 11-7-2016

प्रतिलिपि -- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, विपार्ट बाल्मी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११-७-१६
उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

११/७/१६